संख्या – /आठ–1–16–01विविध/2000

प्रेषक,

सदाकान्त
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **आवास आयुक्त**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2– **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

3– **अध्यक्ष**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ:दिनांक : 16 सितम्बर, 2016**

विषय : वन टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ0टी0एस0 योजना–2002) की समय–सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–3367/आठ–1–11–01विविध/2000 दिनांक 29.11.11 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ओ0टी0एस0 योजना की अवधि इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिनों के लिए निर्धारित की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या–280/आठ–1–13–01विविध/2000 दिनांक 24.01.13 द्वारा ओ0टी0एस0 योजना की समय–सीमा दिनांक 31.03.2013 तक एवं शासनादेश संख्या–2604/आठ–1–15–01विविध/2000 दिनांक 10.08.15 द्वारा दिनांक 31.03.2013 से 31.03.2016 तक बढ़ायी गयी थी।

2– **इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि,** सम्यक् विचारोपरान्त वन टाईम सेटलमेंट (ओ0टी0एस0) योजना, 2002 की समय–सीमा दिनांक–31.03.2016 से 31.03.2017 तक पुनः बढ़ायी जाती है। कृपया विभिन्न समाचार पत्रों एवं अन्य सूचना माध्यमों से प्रश्नगत योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3– वन टाईम सेटलमेंट योजना के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–3367/आठ–1–11–01विविध/2000 दिनांक 29.11.2011 में विहित प्राविधान यथासंशोधन लागू रहेंगे।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) महानिरीक्षक, निबन्धन को सभी विकास प्राधिकरणों/परिषदों में सब–रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित कराने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए समस्त सम्बन्धितों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
विशेष सचिव।